

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :- प.109/नि.अ.मा.वि./रा.छात्रा./एक्सटेंशन.पत्रा./2017-18/ 9429

जयपुर, दिनांक: 18/12/2020

आदेश

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास किशनगढ़बास, अलवर (50 बैडेड) के संचालन करने तथा उक्त छात्रावास के संचालन हेतु मानव संसाधन एवं आवश्यक सामग्री (आवर्तक/अनावर्तक) क्रय करने के लिये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर को लेखाशीर्ष 2225-04-277-(01)-[03] (राज्य निधि) के अन्तर्गत विभिन्न उप-मदों में स्वीकृत संख्यानुसार बजट राशि के हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	नियमित पद का सृजन	संख्या
2225-04-277-(01)-[03]-01 संवेतन (राज्य निधि)	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास किशनगढ़बास (अलवर)	छात्रावास अधीक्षक L-5 (ग्रेड पे 2400)	01

उक्त नवसृजित पद छात्रावास संचालित होने पर ही भरा जावे।

नवीन छात्रावास के निम्नांकित कार्य Job basis (Outsource of work) पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	जॉब बेसिस पर अनुमत कार्य
2225-04-277-(01)-[03]-05	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास किशनगढ़बास (अलवर)	सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, रसोईयों का कार्य

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास किशनगढ़बास (अलवर):- लेखाशीर्ष 2225-04-277-(01)-[03]

क्र. सं.	उपमद	विवरण	राशि (लाखों में)	संख्या
1	01-संवेतन	छात्रावास अधीक्षक वेतन	0.50	01
2	05-कार्यालय व्यय	फर्नीचर/पंलग/खाने व खाना बनाने के बर्तन आदि छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री /सीलिंग फैन/बिजली-पानी कनेक्शन/गैस कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन आदि एवं रसोईया/चौकीदार/सफाईकर्मी	3.50	सुलभ संदर्भ हेतु आवर्तक/अनावर्तक सामान के स्पेसिफिकेशन आदेश क्रमांक 8774-976 दिनांक 07.12.2020 की प्रति एवं खरीद की कार्यवाही हेतु आदेश क्रमांक 8679-95 दिनांक 03.12.2020 की प्रति संलग्न है।
3	58-कपडे बिस्तर	गद्दे/बेडशीट/कम्बल/दरी/तकिया/ड्रेस आदि	1.20	स्वीकृत छात्र संख्या/नोर्म्स अनुसार
4	61-खाद्य सामग्री	भोजन सामग्री/साबुन/तेल आदि	0.50	स्वीकृत छात्र संख्या/नोर्म्स अनुसार
योग			5.70	

Handwritten mark

कृ.प.उ.

शर्तें :-

1. उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जायेगा।
2. जॉब बेसिस पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
4. स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।
5. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र सं. 01 दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. उक्त छात्रावासों के लिए विभागीय मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन मद RTPP Act 2012 & Rule 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए क्रय करने की सहमति प्रदान की जाती है।
7. छात्रावास संचालन/-सामग्री क्रय की समस्त कार्यवाही कार्यालय आदेश क्रमांक 8679-95 दिनांक 03.12.2020 के अनुसार एवं आवर्तक/अनावर्तक सामान के स्पेसिफिकेशन सूची आदेश क्रमांक 8774 दिनांक 07.12.2020 के अनुसार सम्पन्न कर निदेशालय को अवगत कराया जावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 162000856 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण एवं समक्ष स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

(Handwritten Signature)
15.12.2020
(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांक :- प.109/नि.अ.मा.वि./रा.छात्रा./एक्सटेंशन पत्रा./2017-18/ 9430-40
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

जयपुर, दिनांक: 18/12/2020

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 162000856 दिनांक 27.11.2020 के अनुसरण में।
4. महालेखाकर (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोषालय, अलवर।
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी (लेखा एवं हक), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. सहायक निदेशक द्वितीय, कार्यालय हाजा को वित्त विभाग की कार्यालय टिप्पणी सहित।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर को पालनार्थ।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाशाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करें।
11. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

(Handwritten Signature)
for (अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदनसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.0141-2711978, 2711938

क्रमांक- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्र.संचालन/2015-16/ 8774

जयपुर, दिनांक : 07/14/2020

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी.

.....(समस्त)

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों में छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक आवर्तक एवं अनावर्तक सामग्री क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन की स्वीकृति निम्नानुसार एदतद्वारा प्रदान की जाती है:-
आवर्तक एवं अनावर्तक सामग्री की सूची :-

क्र.स.	नया आईटम	साइज	संख्या / नग (50 बैडेड)	विशिष्ट विवरण
1	स्टील की अलमारी छोटी (रूम के लिये)	एक लॉकर 20 गेज तीन सेल्फ 1280x760x430mm (न्यूनतम)	50	छात्रावासी हेतु
2	स्टील स्टूडेंट टेबल सनमाईका टॉप (रूम के लिये) 30 mm पाईप MDF बोर्ड	(2'x3'x2.5') (न्यूनतम)	50	छात्रावासी हेतु
3	एस टाईप चेंबर स्टील हाफ इत्या सीट पीठ GI Sheet (रूम के लिये) गोल-पाईप 20 गेज वजन/गेज	16"x17"x32" (न्यूनतम)	50	छात्रावासी हेतु
4	स्टील कोट (पलंग) 12MM प्लाई टोप (रूम के लिये) 50 mm पाईप वनज/गेज	6'x3'x1.5' (न्यूनतम)	51	छात्रावासी हेतु
5	नेस्टिंग थ्री शीटर 40 mm पाईप	20 mm गेज घावर MS स्टील	2	छात्रावास हेतु
6	कैम्पूल पाईप चेंबर सी.पी. पोलिश लकड़ी हथेदार (वार्डन रूम हेतु) 40 mm पाईप	24"x18"x36" (न्यूनतम)	2	वार्डन हेतु
7	G.I. बक्शा 18 गेज वजन/गेज	6'x3'x2.5' (न्यूनतम)	2	छात्रावास हेतु
8	जॉइन्ट टेबल एक तस्क कप बोर्ड एक दरवाज दूसरी तीन दरवाज माईका टोप मय की बोर्ड ट्रे 12MM बोर्ड व माईका फिनिश (वार्डन रूम हेतु)	4'x3'x2.5' (न्यूनतम)	1	वार्डन हेतु
9	डाईनिंग टेबल सनमाईका टोप (मैस हेतु) 30 mm पाईप MDF बोर्ड	4x2.5 x2.5 (न्यूनतम)	8	मैस हेतु
10	TV LED	55"	1	छात्रावास हेतु
11	डोज बड़ा साइज किचन के लिए (50 आवासियों के लिए संचालित मैस)	आवश्यकतानुसार (300-400 लीटर)	1	छात्रावास हेतु
12	गद्दे (कॉटन) 5 किलो	90cm x 180 cm (3-4 इंच मोटाई)	51	छात्रावासी हेतु
13	बेड शीट (कॉटन) (कलर्ड/प्रीटेड)	152cm x 230cm (न्यूनतम वजन 600 ग्राम)	102	छात्रावासी हेतु
14	ब्लैकेट	152cm x 230 cm (न्यूनतम वजन 800 ग्राम)	51	छात्रावासी हेतु
15	दरी	244cm x 36cm (न्यूनतम वजन 4 किग्रा)	2	छात्रावासी हेतु
16	तकिया (कॉटन)	40cm x 60cm (न्यूनतम वजन 1 किग्रा)	51	छात्रावासी हेतु
17	तकिया कवर (कॉटन)	41cm x 65cm (न्यूनतम वजन 125 ग्राम)	51	छात्रावासी हेतु
18	खेस	4x6.6 (न्यूनतम वजन 1 किग्रा)	51	छात्रावासी हेतु
19	मैस कनेक्शन	Gas Connection	1	छात्रावास हेतु
20	वाटर कूलर मय आर.ओ. (50 आवासियों के लिए संचालित मैस)	आवश्यकतानुसार (न्यूनतम क्षमता 30 लीटर)	1	छात्रावास हेतु
21	परात बड़ी (20 किग्रा क्षमता) (स्टील)	न्यूनतम वजन 5 किग्रा	1	मैस हेतु
22	भगोना (20 किग्रा क्षमता) (एल्यूमिनियम का)	न्यूनतम वजन 3 किग्रा	2	
23	भगोना (10 किग्रा क्षमता) (एल्यूमिनियम)	न्यूनतम वजन 1.5 किग्रा	2	
24	बड़ा चम्मच (सब्जी हेतु) (स्टील)	न्यूनतम वजन 250 ग्राम	2	
25	चिमटा बड़ा (लोहे)	न्यूनतम वजन 500 ग्राम	2	
26	घकला बेलन (लकड़ी)	-	2	

Handwritten mark

8.8.3
217

27	गैस भट्टी (50 आवासियों के लिए संचालित गैस)	50 आवासियों के लिए	2	मैस हेतु	
28	तवा बड़ा (लोहे)	न्यूनतम वजन 2 किग्रा	1		
29	जग (2 लीटर क्षमता) (स्टील)	न्यूनतम वजन 300 ग्राम	4		
30	पतीले (धामा 3 किग्रा क्षमता) (स्टील)	न्यूनतम वजन 500 ग्राम	6		
31	कड़ाही बड़ी (5 किग्रा क्षमता) (लोहे)	न्यूनतम वजन 5 किग्रा	1		
32	खुरपा (लोहा)	-	2		
33	झुम लोहे का बड़ा (आटा हेतु) (100 किग्रा क्षमता)	न्यूनतम वजन 10 किग्रा	1		
34	स्टील डब्बे (मसाले हेतु 4लीटर के)	न्यूनतम वजन 300 ग्राम	6		
35	सागदान (स्टील)	न्यूनतम वजन 1 किग्रा	2		
36	गंगा सागर (2 लीटर क्षमता) (स्टील)	न्यूनतम वजन 250 ग्राम	4		
37	टंकी स्टील पानी हेतु बड़ी (100 लीटर क्षमता)	न्यूनतम वजन 6 किग्रा	1		
38	तेल डब्बा	प्लास्टिक, 5 लीटर क्षमता	2		
39	पल्टे/पंजे (स्टील)	न्यूनतम वजन 200 ग्राम	4		
40	प्रेसर कुकर	एल्युमिनियम 20 लीटर क्षमता का	1		
41	बाल्टी 20 लीटर क्षमता (स्टील)	न्यूनतम वजन 1 किग्रा	2		
42	आटा छलनी (लोहे की)	-	2		
43	सब्जी काटने के चाकू (स्टील)	-	5		
44	नमक दानी 100 ग्राम क्षमता	-	6		
45	थाली मय दो कटोरी (स्टील)	न्यूनतम वजन 250 ग्राम	51		छात्रावासी हेतु
46	टी स्पून (स्टील)	न्यूनतम वजन 25 ग्राम	102		
47	लोटे (स्टील)	न्यूनतम वजन 200 ग्राम	8		
48	व्हाटर प्लेट नारता हेतु (स्टील)	न्यूनतम वजन 100 ग्राम	51		
49	कप (स्टील)	न्यूनतम वजन 50 ग्राम	55		
50	चाय केतली 10 लीटर क्षमता (एल्युमिनियम)	न्यूनतम वजन 1 किग्रा	2		
51	चाय टंकी मिडियम साइज (स्टील की 10 लीटर)	न्यूनतम वजन 1 किग्रा	1		
52	गिलास (स्टील)	न्यूनतम वजन 50 ग्राम	60		

उक्त सामग्री का क्रय करते समय RTTP, GF&AR नियमों का पालन किया जाये। कपड़े, बर्तन आदि क्रय करते समय सामग्री खादी भंडार/हथकरघा/बुनकर संघ/सहकारी उपभोक्ता भंडार/उपहार आदि से क्रय करने की प्राथमिकता दी जावे।

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

जयपुर, दिनांक : 07/12/2020.

क्रमांक- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-18/

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, राजस्थान, समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, समस्त।
5. कोषाधिकारी, कोषालय, राजस्थान, समस्त।
6. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामा.न्याय एवं अधि. विभाग, राजस्थान, (समस्त जिला स्तरीय)।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान, समस्त।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजस्थान समस्त।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्यालय हाजा।
10. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

(नसीम खान)
उप निदेशक (प्रथम)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com दूरभाष नं.: 0141-2711978, 2711938


क्रमांक- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-16/

जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों में छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार क्रय-समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिला कलेक्टर - अध्यक्ष।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य।
3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य
4. कोषाधिकारी - सदस्य।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी - सदस्य सचिव।


(जमील अहमद कुरेशी)

निदेशक


जयपुर, दिनांक 03/12/2015

क्रमांक- प.101/नि.अ.मा.वि./छात्रा.संचालन/2015-16/ 8679-95

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, राजस्थान (समस्त)।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान (समस्त)।
6. निजी सहायक, निदेशक, कार्यालय हाजा।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय हाजा।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, (समस्त जिला स्तरीय)।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
10. कोषाधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. उपनिदेशक प्रथम/उपनिदेशक द्वितीय/उपनिदेशक पीएमजेबीके, कार्यालय हाजा।
13. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

15. सु. जि. शिक्षा अधिकारी, राज. हाजा।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक